न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(डॉ.भंवर लाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
राजस्व अपील संख्याः 10/2019
दायर दिनांकः 12.12.2019
निर्णय दिनांक 12.03.2024

—:अनवानः—

1. देवा पिता परथा, जाति गाडरी, निवासी कुंचोली, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द मृतक के बजाय —

   1/1 मांगीलाल पुत्र स्वर्गीय देवा गायरी, आयु वयस्क
   1/2 गेहरीलाल पुत्र स्वर्गीय देवा गायरी, आयु वयस्क
   1/3 वरदीचन्द पुत्र स्वर्गीय देवा गायरी, आयु वयस्क
   1/4 पप्पूलाल पुत्र स्वर्गीय देवा गायरी, आयु वयस्क
   1/5 हीराबाई पुत्री स्वर्गीय देवा गायरी, पत्नी लक्ष्मीलालजी, आयु वयस्क
   सभी निवासी कुंचोली तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द।
2. भुरा पिता परथा जी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी कुंचोली, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद

— अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
2. श्री पटवारी, पटवार हल्का गुंजोल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

— रेस्पोडेंटगण

प्रथम अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार साहब नाथद्वारा जिला राजसमंद प्रकरण संख्या 01/2019 ना. क. सरकार बनाम देवा, भुरा निर्णय दिनांक 15.10.2019 अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्तागण :—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलांट, उपस्थित
2— श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 उपस्थित

प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का गुंजोल द्वारा राजस्व ग्राम कुंचौली में स्थित खसरा संख्या 616 में से 0.03 बिस्वा भुमि पर अतिक्रमण बताते हुए धारा 91 भु राजस्व अधिनियम की कार्यवाही हेतु अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर धारा 91 भु राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.10.2019 को

न्यायालय जिला कलक्टर

अपीलार्थी को बेदखल करने का आदेश पारित किया है जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है। अधिनस्थ न्यायालय ने नाजायज कब्जा होना मानने में त्रुटि कारित की है। अपीलार्थी अपनी खातेदारी भुमि आराजी नम्बर 675, 676 पर काबिज होकर उपयोग, उपभोग एवं काश्त कर रहा है और उससे सटमा आराजी संख्या 616 भुमि है जो अपीलार्थी की ही भुमि रही है लेकिन सेटलमेंट की त्रुटि से यह भुमि बिलानाम दर्ज हो गई है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 05.11.1954 से आराजी संख्या 395/1 मीन भुमि क्रय की थी जिसके वर्तमान आराजी नम्बर 675, 676 है तथा आराजी संख्या 616 भी इसी आराजी का भाग है जिसे गलत रूप से राजस्व रेकार्ड में बिलानाम रास्ता दर्ज कर लिया है। इस तथ्य की जानकारी होने पर अपीलार्थी ने न्यायालय सहायक कलक्टर नाथद्वारा में इन्द्राज दुरूस्ती एवं निषेधाज्ञा का वाद एवं उसके अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है। अपीलार्थी की उक्त भुमि हक अधिकार की होते हुऐ भी अपीलार्थी का नाजायज कब्जा होना बताया गया है जो विधि के विपरित है। अपीलार्थी उक्त भुमि पर वर्षों से काबिज होकर उपयोग उपभोग एवं काश्त कर रहे है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को उक्त अधिनस्थ न्यायालय में पेशी दिनांक 13.09.2019 को नियत थी और उस दिन अपीलार्थीगण की और से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर आगामी पेशी दिनांक 15.10.2019 को निर्णय हेतु पेशी नियत की गई और उस दिन अपीलार्थीगण की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर निर्णय देना था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना ही उसी दिन अर्थात दिनांक 15.10.2019 को मूल प्रकरण में ही निर्णय पारित कर दिया गया जिसकी अपीलार्थीगण को कोई जानकारी नहीं रही है। अपीलार्थीगण दिनांक 01.11.2019 को न्यायालय में प्रकरण की कार्यवाही में जानकारी करने हेतु उपस्थित हुऐ तो उन्हें ज्ञात हुआ कि प्रकरण में अन्तिम निर्णय पारित किया जा चुका है जिस पर उसी दिन निर्णय की नकल हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जो नकल दिनांक 15.11.2019 को प्राप्त हुई तब जाकर अपीलार्थीगण को उक्त आदेश की पूरी जानकारी हुई। इससे पहले अपीलार्थीगण को उक्त निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी। इसके पश्चात् अपीलार्थीगण द्वारा विधिक राय लेकर यह आज आज प्रस्तुत की जा रही है जो तारीख जानकारी से अंदर मयाद है। अपील प्रस्तुत करने में जानबुझ कर कोई विलम्ब नहीं किया है फिर भी जानकारी के अभाव में हुऐ विलम्ब को कण्डोन करने के लिए अलग से धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः निवेदन है कि अपीलार्थी की प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त फरमाया जावे व उक्त वर्णित भुमि को अपीलार्थी के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेंटगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई एवं अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

न्यायालय जिला कलक्टर

अधिवक्ता अपीलांट के द्वारा बहस में अपील मेमो वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पटवारी हल्का गुंजोल द्वारा राजस्व ग्राम कुंचौली में स्थित खसरा संख्या 616 में से 0.03 बिस्वा भुमि पर अतिक्रमण बताते हुए धारा 91 भु राजस्व अधिनियम की कार्यवाही हेतु अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर धारा 91 भु राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.10.2019 को अपीलार्थी को बेदखल करने का आदेश पारित किया है जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है। अधिनस्थ न्यायालय ने नाजायज कब्जा होना मानने में त्रुटि कारित की है। अपीलार्थी अपनी खातेदारी भुमि आराजी नम्बर 675, 676 पर काबिज होकर उपयोग, उपभोग एवं काश्त कर रहा है और उससे सटमा आराजी संख्या 616 भुमि है जो अपीलार्थी की ही भुमि रही है लेकिन सेटलमेंट की त्रुटि से यह भुमि बिलानाम दर्ज हो गई है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 05.11.1954 से आराजी संख्या 395/1 मीन भुमि क्रय की थी जिसके वर्तमान आराजी नम्बर 675, 676 है तथा आराजी संख्या 616 भी इसी आराजी का भाग है जिसे गलत रूप से राजस्व रेकार्ड में बिलानाम रास्ता दर्ज कर लिया है। इस तथ्य की जानकारी होने पर अपीलार्थी ने न्यायालय सहायक कलक्टर नाथद्वारा में इन्द्राज दुरूस्ती एवं निषेधाज्ञा का वाद एवं उसके अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है। अपीलार्थी की उक्त भुमि हक अधिकार की होते हुऐ भी अपीलार्थी का नाजायज कब्जा होना बताया गया है जो विधि के विपरित है। अपीलार्थी उक्त भुमि पर वर्षों से काबिज होकर उपयोग उपभोग एवं काश्त कर रहे है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को उक्त अधिनस्थ न्यायालय में पेशी दिनांक 13.09.2019 को नियत थी और उस दिन अपीलार्थीगण की और से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर आगामी पेशी दिनांक 15.10.2019 को निर्णय हेतु पेशी नियत की गई और उस दिन अपीलार्थीगण की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर निर्णय देना था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना ही उसी दिन अर्थात दिनांक 15.10.2019 को मूल प्रकरण में ही निर्णय पारित कर दिया गया जिसकी अपीलार्थीगण को कोई जानकारी नहीं रही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाना फरमावें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

अधिवक्ता अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में न्यायालय सहायक हलक्टर नाथद्वारा में वाद विचाराधीन होना तथ्य अंकित करते हुए नियमित वाद के निस्तारण तक उक्त कार्यवाही को स्थगित करने के लिए धारा 10 जा0दि0 के तहत प्रार्थना पत्र एवं उससे संबंधित दस्तावेज 13.09.2019 को प्रस्तुत किये। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई निर्णय किये बगैर ही अन्तीम आदेश दिनांक 15.10.2019 पारित कर दिया गया जिससे प्रमाणित है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विचाराधीन प्रार्थना पत्र का निर्णय

न्यायालय जिला कलक्टर

किये बगैर ही अपीलार्थी का अतिक्रमण स्वीकार करना बताते हुए बैदखली के आदेश दिये गये। जो न्यायोचित नही हैं। अतः अपील अपीलान्ट आंशीक रूप से स्वीकार की जाकर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 10 जा0दि0 पर निर्णय पारित करते हुए अपीलार्थी को जवाब, साक्ष्य, सबूत का समूचित अवसर देते हुए नये सिरे से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

::आदेश::

उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अपीलान्ट आंशीक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नाथद्वारा का आदेश दिनांक 15.10.2019 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 10 जा0दि0 पर निर्णय पारित करते हुए अपीलार्थी को जवाब, साक्ष्य, सबूत का समूचित अवसर देते हुए नये सिरे से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रति तहसीलदार, नाथद्वारा को लौटायी जावे।

Bellw
(डॉ. भंवर लाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 12.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

Bellw
(डॉ. भंवर लाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद